

# कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा, जोधपुर राज0 दूरभाष सं.0291-2511091 ई-मेल ddsecdujodhpur@gmail.com


## “ कार्यालय-आदेश ”

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ./सी.भ./2011-12 दिनांक 27.10.17 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरूप इन्हें वेतनमान पीबी-2(9300-34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनका विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि “ अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।” यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क-2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। यदि ऐसे अभ्यर्थी पाया जाता है तो, संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें। सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

8. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जाँच करें तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे ।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे ।
11. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 17.11.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।


  
 (बंशीधर गुर्जर)  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी-11 सशो. परि./व.अ. सामा.वि./जोधपुर/17/1707

दि 06.11.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पाली मण्डल, पाली मारवाड, ।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल, जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर-पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. संबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर  
पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0


क्रमांक: ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व0अ0 सामा0 वि0/आरपीएससी 2011 संशोधित/2017/1707

दिनांक : 06.11.2017

आदेश संख्या - 1

जिला - जोधपुर, जैसलमेर

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2356	SC	इन्दूबाला	बुलाकीराम जयपाल	बाबा रामदेव मन्दिर के पास, गांव-उदासर, बीकानेर	12-09-1972	SC,WE,WD	रामावि रिण मलार, फलौदी जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
2	2298	GE	अशोक कुमार	हेतराम	गांव-गहारा, पो. सेहोर, मोहिन्दर गड, हरियाणा	30-07-1974	GE, EX	रामावि भाडली, सम जिला - जैसलमेर	नियत पारिश्रमिक



(बंशीधर गुर्जर)  
उप निदेशक, माध्यमिक  
शिक्षा विभाग, जोधपुर